



UPSI180026662024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-292/2024

सावित्री देवी	बनाम	सरवन कुमार आदि।
वाद की प्रकृति	स्थाई निषेधाज्ञा	
वाद का मूल्यांकन	4000/-रुपये	
अधिवक्ता का नाम	श्री ओमप्रकाश वर्मा	
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	23.08.2024	

यह वाद-पत्र वादिनी द्वारा वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा उसके विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानूसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तदनुसार न्याय शुल्क अदा है। अतः वाद मूल वाद के रूप में दर्ज किया जाए। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वादविन्दु दिनांक 25.09.2024 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O Code-UP3555

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2

वादिनी द्वारा प्रार्थना-पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर नक्शा नजरी में पैतृक पक्का मकान को अक्षर ल,र,द,स, तथा अहाता व सहन को अक्षर अ,ब,स,द, से प्रदर्शित किया गया है, जिसकी चौहद्दी पूरब-रास्ता इण्टर लॉकिंग, पश्चिम-पक्की नाली, उत्तर-पक्की नाली बादहू खडंजा, दक्षिण-मकान व सहन प्रतिवादी सं०-2 व 3 है, पर वादिनी के शान्तिपूर्ण अध्यासन में किसी प्रकार का परिवर्तन करने, हस्तक्षेप करने से जरिये अस्थायी आदेश मना किये जाने की याचना की गयी है।

वादिनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में कोई भी प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है।

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

कार्यालय की आख्यानूसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण को नोटिस दिनांक 25.09.2024 हेतु जारी हो। वादिनी आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वाद विन्दु दिनांक 25.09.2024 को पेश हो।

दिनांक:-23.08.2024

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O Code-UP3555

(P.T.O)

UPSI180026662024

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8 ग 2

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 वास्ते कराये जाने कमीशन कार्यवाही जरिये कमिश्नर पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है।

वादिनी जरिये अमीन कमिश्नर विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु पैरवी अविलम्ब करे। अमीन कमिश्नर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या आगामी तिथि तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह अमीन कमिश्नर पर विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कार्यवाही अविलम्ब करे।

दिनांक:-23.08.2024

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3555

vijay/-